न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 224/2010 दायर दिनांक–24.11.2010

1 परमेश्वरी पुत्री हरजी पत्नि भागीरथमल जाति बलाई निवासी पूरा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र सुखा
2. जमनी बेवा हरजी
3. महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल
4. तेजपाल पुत्र बाबूलाल
5. बुद्वराम पुत्र हरजी
6. दयानंद पुत्र हनुमान समस्त जाति बलाई निवासी धायलो का बास तन कारी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
7. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विनोद कुमार शेखावत
वकील प्रतिवादी :– श्री विधाधर जाखड़

दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व
बेअसर करार देने विक्रय पत्र

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 31.07..2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम धायलों का बास तन कारी तहसील नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 546, 548, 549, 550, 2164/287 रकबा क्रमशः 0.7200, 1.3300, 0.0200, 0.7400, 0.0500 कुल किता 5 कुल रकबा 2.86 है0 मे स्व0 हरजी के 1/2 हिस्से की जमीन के 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है।

नामान्तरण संख्या 184 ग्राम धायलों का बास तन कारी तहसील नवलगढ व उसके आधार पर बनी समस्त जमाबंदियों वादिया के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व बेअसर है।

विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2000, 30.10.2000, 4.12.2002 वादिया के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व शून्य है।

प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ग्राम धायलों का बास तन कारी तहसील नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 546, 548, 549, 550, 2164/287 रकबा क्रमशः 0.7200, 1.3300, 0.0200, 0.7400, 0.0500 कुल किता 5 कुल रकबा 2.86 है0 को व इसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को मुंतकिल नही करे व न ही इसमें कोई खाम व पुख्ता निर्माण कार्य करें।

प्रतिवादी नं0 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वह गलत विक्रयपत्र दिनांक 4.12.2002 के आधार पर जमीन ग्राम धायलों का बास तन कारी तहसील नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 546, 548, 549, 550, 2164/287 रकबा क्रमशः 0.7200, 1.3300, 0.0200, 0.7400, 0.0500 कुल किता 5 कुल रकबा 2.86 है0 के 1/4 हिस्से पर कोई भी कब्जा नही करें व अपने नौकर चाकर रिश्तदारो से ही करवावे व न ही कोई पुख्ता व खाम निर्माण करें व न इसे किसी अन्य व्यक्ति को मुंतकिल करे।

प्रतिवादी संख्या 01 व 06 की ओर से पेश जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हरजी का देहांत होना स्वीकार है। वादिनी हरजी की पुत्री होना स्वीकार है लेकिन हिंदू उततराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री का हिस्सा बराबर होना स्वीकार नही है। इस अधिनियम के अनुसार पुत्र को जन्म ही उत्तराधिकर प्राप्त होते है वे कोपार्सनर होते है पुत्रिया कोपार्सनर नही होती है उन्हें अपने पिता के हिस्से में से उततराधिकार मिलता है उक्त काश्त की भूमि पैत्रिक खातेदारी की भूमि है। पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्सा होन काक संशोधन कानून में सन 2005 में लागू हुआ है उक्त मामला व विक्रय पत्र उसके पूर्व के है इस प्रकार वादिनी को पुत्रों के बराबर हक हिस्सा होने का प्रश्न ही नही है वादिनी ने वाद

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

आधारहीन विधि व कानून के विपरीत पेश किया है। जसवंत व रघुवीर ने अपने हिस्से की पूरी जमीन व मु0 ज्याना ने अपने हिससे में से आधा हिस्सा यानि 1/10+1/10+1/1/20 यानि 1/4 हिस्सा विक्रय गिरधारी पुत्र चंद्रा जाति बलाई निवासी बुगाला को दिनांक 19.09.2000 को कियाहै उक्त विक्रय पत्र ए मार्क का है उकसे बाद गिरधारी ने अपना1/4 हिस्सा दिनांक 30.10.2000 को वादिनी के भाई बुद्वराम को विक्रय कर दिया और सहहिस्सेदार हनुमान के पुत्र दयानंद को दिनांक 4.12.2002 को बुद्वराम ने 1/4 हिस्सा विक्रय कर दिया और उततरदाता प्रतिवादी नं0 6 दयानंद उक्त 1/4 हिस्से का सह हिस्सेदार काबिज काश्तकार है।

वादिनी ने गिरधारी के पक्ष में दिनांक 19.09.2000 को करवाये विक्रय पत्र को चुनौती नही दी है जिसके नाम राजस्व रिकॉर्ड बना है 10 साल का समय हो गया है इस प्रकार अवधिपार विधि विरूद्व उक्त वाद पेश किया है व गिरधारी आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार नही बनाया है इस कारण वाद खारिज होने योग्य है।

गिरधारी ने अपना क्रय किया हुआ 1/4 हिस्सा वादिनी के भाई बुद्वराम को दिनांक 30.10.2000 को विक्रय कर दिया उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड बन गया वादिनी ने इस विक्रय पत्र को कही चुनौती नही दी इस कारण भी वादिनी का वाद आधार हीन है। उक्त दोनों विक्रय पत्र को चुनौती नही देकर उत्तरदाता के नाम तीसरी बार बने विक्रय पत्र को आधारहीन आधारों पर चुनौती दी है वह भी आठ साल बाद जा बाहर मियाद पेश किया है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि पर वादिनी का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। वह अपने ससुराल में रहती है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पुत्री का पिता की संपति में न तो हिस्सा होता है वह तो अपने ससुराल में रहती वही भूमि काश्त करती है इंतकाल परम्परा व रीति रिवाजों अनुसार भरा गया है।वादिनी अब अपने भाइयों के षडयंत्र में शामिल होकर कानूनी प्रावधानों का बैजा फायदा उठाने के लिए उक्त वाद पेश किया है।

उत्तरदाता स्ट्रैंजर नही है सह काश्तकार है उत्तरदाता का पिता हनुमानराम पूर्व से ही आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार है भूमि पैत्रिक है पुत्र का जन्मजात ही हक हिस्सा खातेदारी होती है क्रेता दयानंद अपने पिता हनुमानराम के साथ आधा हिस्से का सह काश्तकार है।

<u>अतिरिक्त उत्तर</u>

विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2000 बुद्वराम कर्ता खानदान ने अपनी घर की जायज आवश्यकता क लिए अपने दो भाइयों के नाम का हिस्सा व अपनी माता के नाम का 1/2 हिस्सा विक्रय करवा था फिर रूपयों की व्यवस्था होने पर बुद्वराम ने उक्त विक्रय किया हुआ हिस्सा दिनांक 30.10.2000 को वापिस क्रय कर लिया और दुबारा आवश्यकता होने पर फायदा लेकर ज्यादा प्रतिफल लेकर घरेलू जायज आवश्यकता के लिए दिनांक 04.12.2002 को दयानंद को विक्रय कर दिया व वाद की धारा 7 मे वर्णित शर्त विक्रय पत्र में दर्ज नही करने आदि के तथ्यों के अनुसार। इस प्रकार के विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है राजस्व न्यायालय में उक्त वाद नही चल सकता है। इस प्रकार के विक्रय पत्र को चुनौती बुद्वराम ही दे सकता है वादिनी को चुनौती देने का हक नही है।

बाबूलाल की स्त्री सोनी देवी पुत्री बिमला देवी व गिरधारीलाल को पक्षकार नही बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है इस कारण वाद खारिज होने योग्य है। जसवंत व रघुवीर भी आवश्यक पक्षकार है इस कारण वाद खारिज होने योग्य है।

अतः जबाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादिनी का वाद खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :-

1. आया विवादित भूमि ग्राम धायलों का बास तन कारी तहसील नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 546, 548, 549, 550, 2164/287 रकबा क्रमशः 0.7200, 1.3300, 0.0200, 0.7400, 0.0500 कुल किता 5 कुल रकबा 2.86 है0 भूमि में हरजी के 1/2 हिस्से की जमीन में 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है।

भा.स.वादीया

2. आया वादिया नामान्तरण संख्या 184 के आधार पर बनी समस्त जमाबंदियों वादिया के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व बेअसर है तथा विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2000, 30.10.2000, 04.12.2002 वादिया के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व नल एण्ड वोइड शून्य कराने की अधिकारी है।

भा.स.वादीया

3. आया वादिया प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारी है।

भा.स.वादीया

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

4. आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री का हिस्सा बराबर होना स्वीकार नही है। वादिनी ने वाद आधारहीन तथ्य विधि व कानून के विपरीत पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी

5. आया हरजी के पूत्र बाबूलाल के फौत होने से उनकी पत्नी बिमला देवी को वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में वादिनी का वाद खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी

6. आया वाद वादिया मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है तथा इंतकाल नं0 184 की अपील भी नही की गई है।

भा.स.प्रतिवादी

7. आया विक्रय पत्र को नल एण्ड वोइड शून्य करार देने हेतु चुनौती सिविल न्यायालय में दी जा सकती है।

भा.स.प्रतिवादी

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 06 की ओर से वकील श्री विधाधर जाखड़ उप। प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 05 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत उप0 होकर इकबालिया जबाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु विधाधर, परमेश्वरी व नारायण सिंह तथा शहादत प्रतिवादी हेतु दयानंद व पितराम के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में जमाबंदीयां, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि, ग्राम पंचायत रिपोर्ट, लिखावट आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील पक्षकारान ने वाद–पत्र एवं जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

- तनकी नम्बर 1, 2 व 03 :– उक्त तनकियां एक दुसरे से सम्बन्धित है इसलिए उपरोक्त तनकियों का एक साथ विवेचना कि जा रही है। उक्त तनकीयों को साबित करने का भार वादीया पर है। वादिया नामान्तरण संख्या 184 के आधार पर बनी समस्त जमाबंदियों के आधार पर बने विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2000, 30.10.2000, 04.12.2002 को नल एण्ड वोइड शून्य करवाकर हरजी के 1/2 हिस्से की जमीन में 1/6 हिस्से की घोषणा करवाना चाहती है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दावा करने का एक मुख्य कारण बुद्वराम व दयानंद के बीच इकरारनामा दिनांक 04.12.2002 है जिसमें बुद्वराम द्वारा दयानंद को भूमि इस शर्त पर बेची कि 15 वर्ष बाद बिना ब्याज रूपये लौटाने पर वह जमीन वापस उसके नाम करवा देगा। उक्त इकरारनामे के संबंध में भी क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही है। अतः दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण बार्ड बाई लॉ है।
- तनकी नम्बर 04 लगायत 07 :– चूंकि तनकी संख्या 01, 02 व 03 के विवेचन से तनकी संख्या 07 वादी के विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। चूंकि उक्त तनकियों के विवेचन से दावा क्षैत्राधिकार के बाहर है अतः तनकी संख्या 04, 05 व 06 का विवेचन की आवश्यकता नही है।

फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद वादी खारीज किया जाता है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व

बेअसर करार देने विक्रय पत्र

मुकदमा संः– 224 / 2010 **(परमेश्वरी बनाम हनुमान आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2024 को जारी की गई।

31/07/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00